

उ.नं. 405/16

विनांक आवा
या कार्यवाही

आवा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

14/03/2022 का फोटो

उप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला जयपुर)

14/3/22 पत्रावली आज पेश हुई। वादी एवं वकील
 वादी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगावई
 की गई उपस्थित नहीं आया। न्यायालय के द्वारा
 वाद पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया
 कि वादी एवं वादी अधिवक्ता पूर्व पेशी में
 भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
 पूर्व पेशी पर भी वादी की हाजिर होने हेतु
 विनमता दी जा चुकी है किन्तु वादी आज भी
 उपस्थित नहीं हैं। इससे यह पुष्ट होता है कि वादी
 एवं वादी अधिवक्ता वाद पत्र को अग्रे चलाने
 अग्रसर करने हेतु कतमई इच्छुक नहीं हैं।
 अंतिम आवाज न्यायालय हाजा के समय
 4:45 PM पर लगावई गई। की गई उपस्थित
 नहीं आया सिवाय वादी का वाद अदम पेश्वी
 अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।
 पत्रावली को मल श्रुमाट होकर 6 जे नम्बर
 से कम होने पर दायित्व दफ्तर है।

निर्णय आज दिनांक 14/3/22 को रजिस्टर न्यायालय
 एवं सरे इजलास सुनाया गया


 उप खण्ड अधिकारी
 बस्ती (जिला जयपुर)